न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर.ए.एस

विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 37 / 2024

1. सज्जन सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा स0मा0
2. सज्जन कंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा सवाई माधोपुर ।
3. अनोप कंवर पत्नि रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा स0मा0
4. भंवर बाई पुत्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा स0मा0
5. भंवरसिह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा स0मा0
6. श्रवण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा स0मा0
7. मेहन सिंह दत्तक पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील मित्रपुरा स0मा0

............प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थानप सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील मित्रपुरा जिला स0मा0

...........अप्रार्थी

उपस्थित :–श्री वी.पी.सिंह एड. प्रार्थी की ओर से

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128, 129 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी</u>

दिनांक 03.06.2026

आदेश

प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण वाके ग्राम कुआगांव तहसील मित्रपुरा स्थित खाता संख्या 71 के खसरा नम्बर 215,216,218,221,234 कुल किता 4 कुल रकबा 3.3200 है. के खातेदार काश्तकार होकर हमेशा से काश्तकार उपज लेते आ रहे है जो सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने विगत कुछ अर्से से अपनी जमीन के पडोसियान प्रार्थीगण की भूमि उपजाउ होने व बेहद कीमती होने की वजह से एवं प्रार्थीगण के गरीब होने से लडाई झगडा करने में सक्षम नहीं होने का फायदा उठाकर प्रार्थीगण की रोड के पास स्थित, बेशकीमती भूमि को सीमाज्ञान

एवं पत्थरगढी का बहाना बनाकर सीमा सम्बन्धी विवाद करने लगे है। जबकि प्रार्थीगण की खातेदारी बिल्कुल अलग है, परन्तु इस कारण अन्य पडौसी खातेदारान से विवाद होने की संभावनाऐं बढने लगी है। प्रार्थीगण भूमि इज्जतदार काश्तकार है जो किसी प्रकार विवाद करना उचित नहीं समझते और ना ही सक्षम है। ऐसे में प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पुख्ता पत्थरगढी करवाकर हर प्रकार के विवाद से बचना चाहता है। जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस दिया गया ।

बहस प्रार्थीगण एकपक्षयी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त आराजीयात खातेदारी भूमि बाबत् तहसीलदार मित्रपुरा से मौका रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ./26/446 दिनांक 1.06.2026 से प्राप्त हुई । मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 215 रकबा 1.85 है. मौके पर खाली पडा हुआ है। तथा खसरा नम्बर 218 रकबा 0.32 है. खातेदारान के कब्जे काश्त में है। तथा खसरा नम्बर 216 रकबा 0.41 है. खसरा नम्बर 221 रकबा 0.30 हैं. मे मौके पर रास्ता चालू स्थिति मे है। तथा खसरा नम्बर 234 रकबा 0.44 है. पर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है। तथा उक्त खसरा नम्बर 234 रकबा 0.44 है. पर अन्य खातेदारान का कब्जा काश्त है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में खसरा नम्बर 234 को छोडकर शेष भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगढी किया जाना विधि संगत है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार मित्रपुरा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम वाके कुआगांव की आराजीयात खाता संख्या 71 में अंकित खसरा नम्बर 234 को छोडकर शेष खसरा नम्बरान 215, 216, 218, 221 का अडोस–पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात् पडोस के खेत खाली होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पुलिस जाप्ते की सहायता से सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थी स्वंय वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[signature] 03/6/26
(रामसिंह राजावत)
उप जिला कलेक्टर
बौंली स.मा.

आदेश आज दिनांक 03.06.26 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

[signature] 03/6/26
उप जिला कलेक्टर
बौंली स.मा.